नन्ही परी सीमान्त अभियांत्रिकी संस्थान, पिथौरागढ

प्रशासकीय परिषद् की पंचम बैठक का कार्यवृत्त

नन्ही परी सीमान्त अभियांन्त्रिकी संस्थान, पिथौरागढ़ की प्रशासकीय परिषद की पंचम बैठक दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे उत्तराखण्ड़ सचिवालय में अपर मुख्य सचिव महोदय (तकनीकी शिक्षा) के कार्यालय, देहरादून में आहूत हुई। बैठक में निम्न ने प्रतिभाग कियाः–

1. श्री अनिल गोयल	–	अध्यक्ष
2. श्री ओम प्रकाश, आई0ए0एस0	–	उपाध्यक्ष
3. श्री हरि सिंह	–	सदस्य
4. श्री मुहर मणि	–	सदस्य
5. प्रो0 मनोज दुहान	–	सदस्य
6. प्रो0 अलकनन्दा अशोक	–	सदस्य
7. प्रो0 अम्बरीष एस0 विद्यार्थी	–	सदस्य सचिव

विशेष आमन्त्रोः–

1. श्री मुकेश पाण्डेय संयुक्त सचिव, आई0 आर0 डी0 टी0 सर्वे चौक, देहरादून
2. श्री प्रकाश पालीवाल, अनुभाग अधिकारी, तकनीकी शिक्षा, देहरादून

नोटः प्रशासकीय परिषद के मा0 सदस्य डॉ0 ड़ी0 एस0 पुण्ड़ीर तथा डा0 हरीश पंत व्यक्तिगत कारणों से परिषद की बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके।

5.1 बैठक में सदस्य सचिव द्वारा प्रशासकीय परिषद् के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सम्मानित सदस्यों का स्वागत।

नन्ही परी सीमान्त इन्जीनियरिंग संस्थान, पिथौरागढ़ की प्रशासकीय परिषद् की पंचम बैठक में प्रशासकीय परिषद् के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों का स्वागत परिषद् के सदस्य सचिव द्वारा किया गया तथा प्रशासकीय परिषद् द्वारा संस्थान के विकास कार्य में सहयोग देने हेतु आभार व्यक्त किया गया।

5.2 प्रशासकीय परिषद की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्रशासकीय परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

24.12.2019

5.3 प्रशासकीय परिषद की चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णय का बिन्दुवार कियान्वयन।

परिषद् की चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णयों के बिन्दुवार कियान्वयन से प्रशासकीय परिषद् अवगत हुई।

5.4 संस्थान के अतिथि गृह हेतु पुनः कोटेशन प्रकिया आरम्भ करवाये जाने विषयकः

पूर्व में संस्थान के निदेशक एवं वाह्य आगंतुको के ठहरने हेतु संस्थान द्वारा एक निजी भवन को किराये पर लेकर अतिथि गृह के रूप में प्रयोग किया गया, जिसका अनुबंध माह नवम्बर–2019 में समाप्त हो गया। संस्थान द्वारा पुनः कोटेशन प्रक्रिया अपना कर 11 माह के लिये एक निजी भवन को किराये पर लेकर अतिथि गृह के रूप में प्रयोग किया गया है जिससे प्रशासकीय परिषद् अवगत हुई।

5.5 प्रशासकीय परिषद् की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन में संस्थान के छात्र/छात्राओं हेतु बस का कय :

संस्थान के प्रशासकीय परिषद् की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 1.14 के अनुपालन में संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं हेतु एक बस का कय GEM के माध्यम से किया गया है, जिससे प्रशासकीय परिषद् अवगत हुई।

5.6 संस्थान के आई0टी0आई0 परिसर से फर्नीचर इत्यादि शेष सामग्री का स्थायी परिसर में स्थानांतरणः

संस्थान के अस्थायी परिसर आई0टी0आई0 से शेष फर्नीचर, कार्यालय सामग्री इत्यादि को स्थानांतरण माह नवम्बर–2019 में उत्तराखण्ड शासन के प्रोक्योरमैंट नियमावली–2017 में उल्लेखित प्राविधानानुसार कोटेशन प्रकिया के अर्न्तगत संस्थान के स्थायी परिसर (मढ़धूरा) में किया गया, जिससे प्रशासकीय परिषद् अवगत हुई।

5.7 संस्थान के जी0आई0सी0 परिसर एवं स्थायी परिसर (मढधूरा) हेतु सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था :

संस्थान द्वारा फरवरी–2019 में संस्थान हेतु सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करने के लिये कोटेशन प्रकिया के अर्न्तगत सुरक्षा कर्मियों को छः माह हेतु नियुक्त किया गया था। इस सम्बन्ध में निजी सुरक्षा कम्पनी CIS Bureaus Facility Services Pvt. Ltd. से किया गया अनुबंध माह 31 जुलाई, 2019 को समाप्त हो चुका था। संस्थान की सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त निजी सुरक्षा कम्पनी का अनुबंध दो चरणों में आगामी 03–03 माह हेतु विस्तारित किया गया। वर्तमान समय में सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति किये जाने हेतु नयी प्रक्रिया गतिमान है। विषय से प्रशासकीय परिषद् अवगत हुई।

24.12.2019

5.8 श्री अभिजय नेगी, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल को संस्थान से सम्बन्धित वाद/प्रतिवाद की पैरवी किये जाने हेतु नामित करने विषयकः

श्री अभिजय नेगी, अधिवक्ता (Bar Council of UK Number: UK589/2017, Bar Association Number: A1436/2018) माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल को संस्थान से सम्बन्धित समस्त वाद/प्रतिवाद की पैरवी किये जाने हेतु मा0 अध्यक्ष महोदय की सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त नामित किया गया था। संस्थान एवं श्री अभिजय नेगी के मध्य एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है जिसमें उनको दिये जाने वाले शुल्क इत्यादि को निम्नवत निर्धारित किया गया हैः–

कम संख्या	शुल्क विवरण	धनराशि (रू0 में)
1	रिटेनरशिप शुल्क	20,000/– प्रतिमाह
2	केस शुल्क	15,000/– प्रतिकेस
3	वाद/प्रतिवाद से सम्बन्धित लिपिकीय इत्यादि कार्यों हेतु शुल्क	3000/– प्रतिकेस

प्रशासकीय परिषद् द्वारा श्री अभिजय नेगी को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में संस्थान से सम्बन्धित समस्त वाद/प्रतिवाद की पैरवी करने हेतु नामित किये जाने एवं उपरोक्तानुसार तय किये गये शुल्क का भुगतान किये जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

5.9 संस्थान के व्यापार कर से सम्बन्धित विषयों की पैरवी हेतु अधिवक्ता को शुल्क भुगतान किये जाने विषयकः

संस्थान के व्यापार कर से सम्बन्धित कमिश्नर व्यापार कर कोर्ट में पैरवी एवं सम्बन्धित कार्यवाही हेतु एक अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी की जाती है जिसका बीजक अधिवक्ता द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत करने के उपरान्त इसका भुगतान संस्थान द्वारा किया जाता है। अधिवक्ता द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत बीजकों का भुगतान किये जाने का प्रशासकीय परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

5.10 संस्थान को छात्रा सुश्री रजनी आर्या (दिवंगत) की शुल्क वापसी विषयकः

सुश्री रजनी आर्या (दिवंगत), रोल नं0 161190107030, संस्थान के सिविल इन्जीनियरिंग विभाग में चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत् थी। माह सितम्बर में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उनके अविभावक द्वारा संस्थान में सुश्री रजनी आर्या द्वारा जमा की गयी सातवें सेमेस्टर का शिक्षण शुल्क रू0 31600/– तथा धरोहर राशि रू0 2500/– शुल्क की वापसी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे संस्थान द्वारा मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए स्वीकृत कर कुल रू0 34100/– उनके अविभावक को वापस किया गया है। प्रकरण पर प्रशासकीय परिषद् ने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

24.12.2019

5.11 श्री नरेन्द्र सिंह वल्दिया, सहायक लेखाकार को लेखानुभाग के कार्यों को किये जाने हेतु सेवाविस्तार दिये जाने विषयक :

प्रशासकीय परिषद द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह वल्दिया, सहायक लेखाकार को सेवाविस्तार दिये जाने पर अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी। परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि संस्थान के लेखा कार्यों का संचालन नियमित पद पर नियुक्त पूर्णकालिक कर्मचारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। निदेशक द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा शासनादेश सं0 43/XLI-1/13–81/2010 दिनांक 10 जनवरी 2013 के द्वारा सहायक लेखाकार का पद सृजित किया गया है तथा इस पद को आउटसोर्सिंग द्वारा भरे जाने संबन्धी निर्देश दिये गये हैं। परिषद द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि सहायक लेखाकार के पद को नियमित प्रक्रिया से भरे जाने हेतु संस्थान शासन को पद सृजन का प्रस्ताव प्रेषित कर उस पद पर नियमित नियुक्ति करे।

5.12 संस्थान में वित्तीय, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक किया–कलापों के सुचारू निष्पादन हेतु विभागीय ढॉचा गठित किये जाने हेतु प्रस्तावः

प्रशासकीय परिषद द्वारा संस्थान के वित्तीय, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक किया–कलापों के सुचारू निष्पादन हेतु गठित किये गये विभागीय ढॉचें को शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने हेतु एक प्रस्ताव को उत्तराखण्ड़ ‘शासन को प्रेषित किये जाने का निर्देश दिया गया।

5.13 संस्थान के स्थायी परिसर में एक निदेशक आवास एंव एक अतिथि गृह का निर्माण किये जाने हेतु प्रस्ताव

प्रशासकीय परिषद ने उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्राविधानित निर्माण कार्य हेतु रू0 01 करोड़ की धनराशि से एक निदेशक आवास एवं एक छः कमरेां का अतिथि गृह बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को नामित किये जाने के संबन्ध में परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि इस विषय में एक अनुरोध उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

5.14 TEQIP-III परियोजना के अर्न्तगत पैकज के निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावः

TEQIP –III परियोजना के अर्न्तगत पैकेज Reverse Engineering Lab (CAD/ CAM Lab) Package no TEQIP-III/2019/UK/Seip/110 के निरस्तीकरण किये जाने से प्रशासकीय परिषद् अवगत हुई।

5.15 TEQIP-III परियोजना के अर्न्तगत संस्थान के मैकेनिकल इन्जीनियरिंग विभाग में ‘Strength of Materrial’ विषय हेतु उपकरणों को कय किये जाने हेतु प्रस्तावः

TEQIP-III परियोजना के अर्न्तगत संस्थान के मैकेनिकल इन्जीनियरिंग विभाग में ‘Strength of Materrial’ विषय हेतु उपकरणों को कय किये जाने के प्रस्ताव पर प्रशासकीय परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

5.16 TEQIP-III परियोजना के अर्न्तगत कम्प्यूटर सांइस विभाग द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference) करवाये जाने हेतु अनुमोदन :

प्रशासकीय परिषद द्वारा TEQIP-III परियोजना के अर्न्तगत संस्थान के कम्प्यूटर सांइस विभाग द्वारा अर्न्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference) करवाये जाने हेतु अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया। इसके स्थान पर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत तथा सेवानिवृत विषय विशेषज्ञों से व्याख्यान आयोजित कराने का सुझाव दिया गया।

5.17 एप्लाइड सांइस विभाग (भौतिक विज्ञान विषय) में राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी आयोजित किये जाने हेतु प्रस्तावः

प्रशासकीय परिषद द्वारा TEQIP-III परियोजना के अर्न्तगत संस्थान के एप्लाइड सांइस विभाग (भौतिक विज्ञान विषय) में राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया। इसके स्थान पर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत तथा सेवानिवृत विषय विशेषज्ञों से व्याख्यान आयोजित कराने का सुझाव दिया गया।

5.18 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य बिन्दु।

4.18.1 प्रशासकीय परिषद के मा0 सदस्य डा0 हरीश पंत द्वारा राज्य में उत्तराखण्ड़ प्रौद्योगिकी फोरम (यू0के0टी0एफ0) स्थापित किये जाने का प्रस्ताव ईमेल से प्रेषित किया गया, जिसे परिषद के विचारार्थ बैठक में प्रस्तुत किया गया। परिषद द्वारा सुझाव दिया गया कि संस्थान में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों को औद्योगिक इंर्टनशिप तथा औद्यगिक विशेषज्ञों के निर्देशन में प्रोजेक्ट कराये जायें जिससे छात्र–छात्रोंओं ज्ञान में अभिवृद्धि होगी तथा रोजगार के नये अवसर प्रदान होंगें।

4.18.2 प्रशासकीय परिषद द्वारा शैक्षणिक क्रिग्राकलापों को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु तथा शैक्षणिक कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति ना हो पाने के कारण संस्थान में पूर्व से कार्यरत शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अनुबंध को छः माह हेतु पुनः विस्तारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मा0 अध्यक्ष महोदय को आभार व्यक्त के साथ बैठक का समापन हुआ।

अम्बरीष विद्यार्थी
24.12.2019

(प्रो0 अम्बरीष एस0 विद्यार्थी)
निदेशक एवं सदस्य सचिव

OmPrakash
24.12.19

(श्री ओम प्रकाश, I.A.S.)
उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद

(श्री अनिल गोयल)
अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद